

न्यायालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)

मण्डलेश्वर, दिनांक 14.09.2020

// सूचना //


कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्र. सी/2214, जबलपुर दिनांक 12.09.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्र./लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 12.09.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व के सर्कुलर क्र. डी/2377, दिनांक 27.06.2020, क्यू/12 दिनांकित 04.05.2020, एवं अन्य सर्कुलरस एवं क्लेरीफिकेशन को दिनांक 14.09.2020 से दिनांक 18.09.2020 तक बढ़ाये जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनाकों को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे -

सिविल एवं आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील एवं अन्य प्रकरण जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं, को छोड़कर)

क्र.	नियत तिथि	सिविल आगामी तिथि	आपराधिक आगामी तिथि
1.	14.09.2020	20.10.2020	05.10.2020
2.	15.09.2020	21.10.2020	06.10.2020
3.	16.09.2020	22.10.2020	07.10.2020
4.	18.09.2020	23.10.2020	08.10.2020


B/5
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय: श्रीमती संगीता डावर मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
प०निमाड- मण्डलेश्वर(म०प्र०)

जा०क्र०-335/आप०

मण्डलेश्वर, दिनांक 14-09-2020

॥ आम सूचना ॥

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक C/2214 जबलपुर दिनांकित, 12-09-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण दिनांक 18-09-2020 तक विस्तारित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लम्बित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिती सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल अंतिम तर्क से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी तथा रिमाण्ड व जमानत सम्बन्धी प्रकरणों की एवं स्थगन से सम्बन्धित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियाँ, दिनांक 18-09-2020 तक स्थगित रहेंगी।

दिवानी एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में नियत दिनांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी नियत दिनांक	अण्डरट्रायल प्रकरण	ग्राम न्यायालय में लम्बित प्रकरण
01	14-09-2020	13-10-2020	28-09-2020	05-10-2020
02	15-09-2020	14-10-2020	-	-
03	16-09-2020	15-10-2020	-	-
04	18-09-2020	16-10-2020	-	-

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारण को सूचित हों।

{ श्रीमती संगीता डावर मौर्य }
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
प. नि. मण्डलेश्वर(म.प्र.)

**न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर,**

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के परिपत्र कमाक सी/2214 दिनाक 12.09.2020 मे प्रसारित दिशा-निर्देशो एव जिला अभिभाषक सघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र कमाक 11/2020 दिनाक 07.05.2020 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन एव सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वीसी के माध्यम से तथा न्यायालयो मे उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने मे असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण इस न्यायालय मे विचारहीन सलग्न सूची अनुसार आपराधिक एव दिवानी प्रकरण जो अंतिम तर्क अभियुक्त कथन बचाव साक्ष्य, आदेश एव निर्णय की अवस्था के प्रकरण निम्नांकित सूची मे दर्शायी गयी तिथियो पर सुनवाई मे लिये जावेगे ।


आपराधिक प्रकरण

अ०क्र०	प्रकरण कमाक	पक्षकार का नाम	स्टेज	आगामी पेशी दिनाक	रिमाक
1	वि सत्र प्र 82/2017	राज्य वि समसु उर्फ समसुद्दीन	बचाव साक्ष्य	21.09.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित

दिवानी प्रकरण

1	क्लेम प्र 187/2017	सतोषी वि सन्नी	अंतिम तर्क	23.09.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित
2	क्लेम प्र 145/2018	सुलोचना वि सन्नी	अंतिम तर्क	23.09.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित
3	क्लेम प्र 100/2017	मोहन वि सतीश	अंतिम तर्क	23.09.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित
4	क्लेम प्र 101/2017	मोहन वि सतीश	अंतिम तर्क	23.09.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित

तदनुसार समस्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण सूचित हो।


(साधना माडेबरी)
विशेष न्यायाधीश,
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर
14/9/2020

न्यायालय :-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,मण्डलेश्वर

क.....३५१/२०२०

मण्डलेश्वर, दिनांक 14.09.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क 110/PR(J)/2020 जबलपुर दिनांक 11.09.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश की निरंतरता की अवधि दिनांक 14.09.2020 से 18.09.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में सुविधानुसार आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण एवं स्थगन से संबधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। साथ ही इस न्यायालय में अंतिम तर्क की स्टेज पर नियत प्रकरण पूर्व से नियत दिनांक को विडियो कांफेसिंग द्वारा या लिखित तर्क पेश कर सुनवाई में लिये जा सकेंगे एवं शेष कार्यवाहियों से संबधित समस्त प्रकरणों में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

नियत आपराधिक प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	16.09.2020	20.11.2020
02	18.09.2020	23.11.2020

नियत दिवानी प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	14.09.2020	15.10.2020
02	15.09.2020	16.10.2020
03	16.09.2020	19.10.2020
04	18.09.2020	20.10.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चरप्पा की जाये।


प्रवीण हजारे,

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

**न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारणो
अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर**

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के परिपत्र क्रमांक सी/2214 दिनांक 12.09.2020 म प्रसारित दिशा निर्देशा एव जिला अधिष्ठापक सद्य मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 के अनुसार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वीसी के माध्यम से तथा न्यायालयो मे उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने मे असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण दिनांक 14.09.2020 से 18.09.2020 तक इस न्यायालय में लंबित (अंतिम तर्क, अधियुक्त कथन, बचाव साक्ष्य, आदेश एवं निर्णय अवस्था के प्रकरणो को छोडकर) शेष दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांक को सुनवाई मे लिये जावेंगे:

अ.क.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	14.09.2020	20.10.2020
2.	15.09.2020	21.10.2020
3.	16.09.2020	22.10.2020
4.	17.09.2020 सर्वपितृमोक्ष अनावस्था सार्वजनिक अवकाश	—
5.	18.09.2020	23.10.2020
6.	19.09.2020 तृतीय शनिवार अवकाश

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण सूचित हो।

P. Ghoshalwar
(साधना माहेबरी) 14/9/2020
विशेष न्यायाधीश,

अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम

1989 पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

अरुण कुमार खरादी
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि मण्डलेश्वर


**न्यायालय :- श्री अरुण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)**

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश सर्कुलर क. सी/2214 जबलपुर, दिनांक 12.09.2020 एवं सर्कुलर क. सी/2144 जबलपुर, दिनांक 05.09.2020 एवं सर्कुलर क. डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 तथा सर्कुलर क्रमांक क्यू. 12 दिनांक 04.05.2020 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 18.09.2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **14.09.2020 से 18.09.2020 तक इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	14.09.2020	06.11.2020
2.	15.09.2020	07.11.2020
3.	16.09.2020	10.11.2020
4.	18.09.2020	11.11.2020




द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)